धारा 111 : अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया

(1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(2) अपील अधिकरण के पास वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मांगना;

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) व्यतिक्रम के लिए किसी प्रतिवेदन को खारिज करना या एकपक्षीय रूप से उसका विनिश्चय करना;

(छ) व्यतिक्रम के लिए किसी प्रतिवेदन को खारिज करने के आदेश या उसके द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में प्रवर्तित किया जा सकेगा जैसे कि वह न्यायालय द्वारा, उसके पास लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और अपील अधिकरण के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अपने आदेशों को निम्नलिखित मामलों में निष्पादन के लिए ऐसी स्थानीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को भेजे–

(क) किसी कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापार करता है या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत और धरा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

उपयुक्त नियमः नियम 112

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017